

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)

क्रमांक एफ 5-6/2013/1-15/क.क.
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 16-03-2017

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय: विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले संयुक्त परामर्शदात्री परिषद्/संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठक आयोजित करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ: इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 2235/1199/1(3)70, दि० 19/12/70 पत्र क्रमांक एफ 5-2/09/1-15/क.क., दि० 15.09.2011 दिनांक 15.12.2011 एवं 06.11.2011 एवं पत्र क्रमांक एफ 5-6/2013/1-15/क.क., दिनांक 26 मार्च 2013, दिनांक 22 जनवरी 2014, 25 सितम्बर 2014, 20 मई 2015, 20.11.2015, 02 अप्रैल 2016, 23 अगस्त 2016 एवं 03.11.2016 ।

—0—

सन्दर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें।

2/ शासन के द्वारा समय-समय पर विभाग/विभागाध्यक्ष/जिला कार्यालय तथा तहसील स्तर पर गठित संयुक्त परामर्श दात्री समितियों की आयोजित बैठक आयोजित करने के संबंध में निर्देश जारी किये जाते हैं, परन्तु अभी भी बैठक के कार्यवाही विवरण/कार्यवृत्त संतोषजनक प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

3/ आदेशानुसार संदर्भों में जारी निर्देश के आलोक में गठित तहसील/जिला/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग स्तर पर संयुक्त परामर्शदात्री समिती की बैठकों का तीन माह में आयोजन कर बैठक का कार्यवाही विवरण/कार्यवृत्त विभाग को प्रति तीन माह में सम्पादित प्रश्नाधीन बैठकों का कार्यवाही विवरण विभाग को अविलम्ब भेजने सुनिश्चित करें।

(घनश्याम एम. मूलानी)

उपसंचालक/अवर सचिव
शास. कर्म. कल्याण संगठन

म.प्र. शासन, सा.प्र.वि.-15

भोपाल, दिनांक 16-03-2017

पृ०क० एफ 5-6/2013/1-15/क.क.

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी /राज्य मंत्रीजी समस्त विभाग भोपाल।
3. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
4. निज सचिव, मान. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
5. प्रान्ताध्यक्ष, समस्त मान्यता प्राप्त कर्म./अधि./संगठन.....
की ओर सूचनार्थ ।

उपसंचालक/अवर सचिव
शास. कर्म. कल्याण संगठन
म.प्र. शासन, सा.प्र.वि.-15